कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—॥ अधिसूचना ॥—

क्रमांक / 8019 / भू-अर्जन / 2024 कोरबा, दिनांक 04/05/2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिये कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार अधिग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 23 सितम्बर 2022 को प्रकाशित किया गया था। प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 की सुनवाई उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण तथा उसके पश्चात् विधान सभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं निर्वाचन संबंधित कार्य में व्यस्त होने तथा आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण के संबंध में रूचि नहीं लिये जाने के कारण निर्धारित समयावधि दिनांक 23 सितम्बर 2023 तक प्रकरण में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका है। अतएव अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष समयवृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण
कोरबा	दीपका	रंगबेल/ 60	49	3.179		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राजपत्र के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजीत वसंत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ.ग.)